

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:-एस्टे/डीईएस/विविध/2008/

दिनांक:-

जिला कलक्टर,
समस्त


विषय :- " सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 " के तहत प्राप्त प्रकरणों की
पाक्षिक सूचना भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन उप सचिव, आयोजना (ग्रुप-2) विभाग, शासन
सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 2 (31) आयो./ग्रुप-2/2012 दिनांक 11.09.2012
(प्रति संलग्न) के क्रम में " सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 " के तहत प्राप्त प्रकरणों
की पाक्षिक सूचना निर्धारित प्रपत्र (प्रति संलग्न) में तैयार किया जाना अपेक्षित है।

इस संबंध में जिला सांख्यिकी अधिकारी को जनसुनवाई अधिकारी नियुक्त किया
जाता है एवं आप अपने स्तर पर जिले के लिये प्रथम अपील अधिकारी नियुक्त करने की
व्यवस्था करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार



निदेशक एवं पदेन उप सचिव,

क्रमांक:-एस्टे/डीईएस/विविध/2008/26941-75

दिनांक:- 03-10-2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला सांख्यिकी अधिकारी को जनसुनवाई अधिकारी नियुक्त करते
हुए निर्देशित किया जाता है कि आप संबंधित पत्र के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करे।
2. निदेशक का निजी कक्ष।
3. रक्षी पत्रावली।


उप निदेशक (प्रशासन)

राजस्थान सरकार
आयोजना (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प. 2(31) आयो./ग्रुप-2/2012

जयपुर, दिनांक:-

निदेशक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
राज. जयपुर।

निदेशक,
मुल्यांकन संगठन,
राज. जयपुर।

विषय:- "सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012" के तहत प्राप्त प्रकरणों
की पाक्षिक सूचना भिजवाने के क्रम में।

सन्दर्भ:- प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग का परिपत्र क्रमांक
प. 13(2) प्र.सु./सम/अनु-1/2002 दिनांक 30.8.2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित परिपत्र के क्रम में लेख है कि "सुनवाई
का अधिकार अधिनियम 2012" के तहत प्राप्त आवेदनो/प्रकरणो की मुख्य सचिव
महोदय एवं मुख्य मंत्री महोदय द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जायेगी। अतः उक्त
अधिनियम के तहत प्राप्त प्रकरणो की पाक्षिक सूचना पत्र के साथ संलग्न निर्धारित
प्रपत्र में इस कार्यालय को प्रत्येक पाक्षिक की समाप्ति के दो दिवस में नियमित रूप से
भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(अनिल कुमार चपलोट)
शासन उप सचिव

